संख्या-37/2023 /001-154-22-4-2023-1697867

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 29 मार्च, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष-2022-23 में केन्द्रीय कारागार आगरा में टाइप-2 के 06 नग आवासों के निमार्ण की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-7093/नम-3/बजट/2022-23, दिनांक-03-03-2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2022-23 में केन्द्रीय कारागार आगरा में टाइप-2 के 06 नग आवासों के निमार्ण हेतु निम्न सारणी के स्तम्भ-5 में अंकित लागत की धनराशि रूपये 128.69 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति सहित स्तम्भ-6 में अंकित प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रूपये 45.02 लाख (रुपये पैंतालीस लाख दो हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	कारागार का नाम	कार्य का नाम	कार्य़दायी संस्था	कार्य की लागत	वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत की जाने वाली प्रथम किश्त की धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	केन्द्रीय कारागार आगरा	टाइप-2 के 06 नग आवासों का निमार्ण	उत्तर प्रदेश विधायन एवं निमार्ण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड)	128.69	45.02
योगः-				128.69	45.02

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) विभाग द्वारा आवश्यकता/नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरण क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा ।

(2) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाना होगा ।

(3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व महानिरीक्षक, कारागार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किए जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है ।

(4) कार्ययोजना में कोई उल्लेखनीय परिर्वतन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि बिना पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये नही किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा। महानिरीक्षक, कारागार परियोजना के क्रियान्वयन में टाइम ओवर रन कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 21.06.2017 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा ।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(8) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(9) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा उपकरणों का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु- 2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से किया जायेगा ।

(10) प्रायोजना हेतु जीएसटी की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी ।

(11) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाए।

(12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का प्रशिक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/महानिरीक्षक, कारागार का होगा।

(13) निर्माणकार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जाने वाले धनराशि की वित्तीय स्वीकृति में इस आशय का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाए कि आहरण और वितरण अधिकारी द्वारा 02-02 माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराई जाए तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गई धनराशि का 75 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जाए ।

(14) महानिरीक्षक कारागार निर्माण कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा कार्य की गुणवत्ता आदि की प्रगति के संबंध में अपने स्तर से समीक्षा करते हुए प्रगति आख्या शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(15) इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत नियमों, शर्तो एवं प्रतिबंधों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 45,02,000 (रुपये पैंतालीस लाख दो हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 025 लेखा शीर्षक 4216017000300 कारागार स्टाफ के लिए आवासों का निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-37/2023/001-154(1)-22-4-2023-1697867, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।

(3) प्रबन्धक निदेशक, उत्तर प्रदेश विधायन एवं निमार्ण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड) लखनऊ।

(4) जिलाधिकारी, आगरा।

(5) वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार आगरा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(9) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्यय) अनुभाग-1/2
(11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।